संख्या:9/2022/1023/35-1-2022/35-1099/66/2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2022

विषय: ई.पी.सी. मोड में कराये जाने वाले कार्यों की जनपद स्तर पर मॉनीटरिंग के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश में रू. 50.00 करोड़ से अधिक लागत वाले शासकीय भवनों के निर्माण कार्य को ई0पी0सी0 मोड में कराए जाने से सम्बन्धित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या: 24/2022/बी-2-218/दस-2022-एम-3/2019 दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 द्वारा परियोजनाओं के क्रियान्वयन की व्यवस्था दी गयी है। सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2022 में अन्य व्यवस्थाओं के साथ ही जनपद स्तर पर मॉनीटरिंग किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्तर-3 के बिन्दु सं0-11 में संक्षिप्त व्यवस्था दी गयी है। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन परियोजना की मॉनीटरिंग हेतु तकनीकी प्रकोष्ठ के गठन की विस्तृत व्याख्या सहित निम्नवत व्यवस्था निर्धारित की जाती है:-

1.	जिलाधिकारी	-	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	-	सदस्य
3.	लो0नि0वि0/ग्रा0अभि0वि0/सिंचाई विभाग में से जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिशासी अभियन्ता	-	सदस्य
4.	प्रशासकीय विभाग के जनपद स्तरीय वरिष्ठतम अधिकारी	-	सदस्य
5.	अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 (समर्पित भवन प्रखण्ड)	-	सदस्य सचिव

तकनीकी प्रकोष्ठ में कार्य की प्रकृति एवं आवश्यकता के आधार पर ऊर्जा, जल निगम एवं प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी को भी जिलाधिकारी द्वारा नामित करते हुए उनकी प्रतिभागिता सुनिश्चित करायी जायेगी।

2- तकनीकी प्रकोष्ठ की बैठकें मासिक रूप से अथवा आवश्यकतानुसार की जायेंगी एवं इन बैठकों में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट एवं ई0पी0सी0 कान्ट्रैक्टर के जिला स्तरीय प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा एवं कार्य की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण किया जायेगा। प्रकोष्ठ में नामित अभियन्ताओं द्वारा प्रत्येक बैठक के पूर्व कन्सलटेंट व कान्ट्रैक्टर की उपस्थिति में परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। यथासम्भव जिलाधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी द्वारा भी प्रति माह इस टीम के साथ निरीक्षण में प्रतिभाग किया जायेगा।

3- जनपद स्तर पर गठित तकनीकी प्रकोष्ठ द्वारा निम्न कार्य अनिवार्य रूप से किए जायेंगे:-

i. प्रकोष्ठ द्वारा मासिक बैठक में परियोजना की टाइमलाइन के अनुसार गतिमान रहने, गुणवत्ता एवं थर्डपार्टी ऑडिट द्वारा उपलब्ध करायी गयी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए परियोजना की मॉनिटरिंग की जायेगी।
ii. बैठक में परियोजना के निर्माण में किसी भी प्रकार के गतिरोध का निराकरण सुनिश्चित किया जायेगा।
iii. ई0पी0सी0 कान्ट्रैक्टर या कन्सलटेंट के स्तर पर किसी भी लापरवाही की दशा में प्रकोष्ठ द्वारा सचेत किया जायेगा और उच्च स्तर पर भी इसे संज्ञान में लाया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

iv. इन मासिक बैठकों में पी0एम0सी0 के टीमलीडर, कार्य के पर्यवेक्षण हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता व कान्ट्रैक्टर के उच्च प्रबन्धन के प्रतिनिधि द्वारा भी प्रतिभाग किया जायेगा। इसकी पूर्व सूचना सभी सम्बन्धित को सदस्य सचिव द्वारा निर्गत की जायेगी।

v. बैठक का कार्यवृत्त प्रत्येक दशा में 02 कार्यदिवस के अन्दर प्रमुख सचिव, नियोजन एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा नामित पर्यवेक्षणीय अभियन्ता को प्रेषित किया जायेगा।

vi. प्रकोष्ठ के सदस्य सचिव द्वारा योजना का अद्यतन प्रगति विवरण सी0एम0आई0एस0 पोर्टल पर फोटोग्राफ एवं वीडियो सहित अपलोड किया जायेगा। यथावश्यकता बैठकों में ड्रोन द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाय।

4- मण्डल स्तर पर मण्डलायुक्तों द्वारा भी प्रतिमाह ई0पी0सी0 मोड पर कराए जा रहे कार्यों की मॉनिटरिंग की जायेगी, जिसमें सम्बन्धित जिलाधिकारियों, प्रशासकीय विभाग के मण्डल स्तर पर वरिष्ठतम अधिकारी, मुख्य अभियन्ता, पी0एम0सी0 एवं ई0पी0सी0 कान्ट्रैक्टर के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा।

5- ई0पी0सी0 मोड के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यों हेतु फील्ड स्तर पर उपरोक्तानुसार निर्धारित पर्यवेक्षण व्यवस्था का बिना शिथिलता के अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव

संख्या:9/2022/1023/35-1-2022/35-1099/66/2022, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ.प्र. लखनऊ।
4- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-2
5- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।